

न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर

पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सिंह RTS सरदारशहर

प्र0सं. 26 / 2021 अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91

सरकार बनाम परमेश्वरलाल पुत्र श्री श्योलाल जाति जाट निवासी ग्राम
जीवणदेसर तहसील सरदारशहर

:-निर्णय:-

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जीवणदेसर ने रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि परमेश्वरलाल पुत्र श्री श्योलाल जाति जाट निवासी ग्राम जीवणदेसर तहसील सरदारशहर द्वारा रोही मौजा जीवणदेसर के खसरा नं0 326 तादादी 0.6200 हैक्टे. गैर मुमकिन जोहड़ में से 0.10 हैक्टे. भूमि पर नाजायज रूप से 2 पक्के कमरे व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी पुष्टि संबंधित हल्के के भू.अ.नि. द्वारा भी की गयी।

हमने पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज किया। अप्रार्थी को धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया। नोटिस की अप्रार्थी के भाई मनीराम को विधिवत तामील करवाई गयी। तामील की प्रति पत्रावली के सलंगन है। नोटिस के प्रत्युत्तर में अप्रार्थी की ओर से निर्धारित तारीख पेशी पर न तो अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आया और न ही अप्रार्थी की कोई अधिवक्ता उपस्थित आया। इसके बाद हमने न्यायहित में अप्रार्थी को जवाब हेतु एक ओर अवसर देते हुए पत्रावली में आगामी तारीख दिनांक 10.01.2022 निर्धारित की।

लेकिन निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 10.01.2022 को भी अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। इसी क्रम में हमने पत्रावली में बार बार तारीख पेशी देते हुए अन्तिम अवसर हेतु तारीख पेशी 28.01.2022 निर्धारित की। लेकिन हर बार अप्रार्थी अनुपस्थित रहा इससे ये स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी कोई जवाब प्रस्तुत ही नहीं करना चाहता। विधिवत तामील के बावजूद अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से हल्का पटवारी रिपोर्ट सत्य साबित होती है।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट और अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं से यह स्वतः सिद्ध होता है कि अप्रार्थी का खसरा नं. 326 तादादी 0.6200 हैक्टे किस्म गै.मुमकिन जोहड़ में से 0.10 हैक्टे भूमि पर अवैध अतिक्रमण है जिसका अप्रार्थी को कोई विधिक अधिकार नहीं है। पटवारी हल्का ने



तहसीलदार
सरदारशहर




निवेदन किया कि भविष्य में कोई अतिक्रमी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करे अतः नियमानुसार कठोरतम निर्णय पारित किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट, भू.अ.नि. की जांच रिपोर्ट का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी का रोही मौजा जीवणदेसर के खं.नं. 326 तादादी 0.6200 हैक्टे. गैर मुमकिन जोहड में से 0.10 हैक्टे. भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर न्याय हित में अप्रार्थी के विरुद्ध नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत है जिससे भविष्य में कोई अतिक्रमी राजकीय भूमि पर अतिचार न कर सके।

अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर अप्रार्थी पर आरोपित दोष सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को भू.राजस्व का 50 गुणा अर्थात् 10 रु. तावान के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। भू.अ.नि. सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से वेदखल करें तथा पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें व तहसील राजस्व लेखाकार से तावान की मांग कायमी करवायी जावे। निर्णय आज दिनांक 28.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।




(हनुमान सिंह)
तहसील-सरदारशहर
सरदारशहर